न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 01/2017

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी।

ब ना म

अप्रार्थी

1. श्रीमति भागवन्ती पत्नी विशनाराम, जाति दमामी, निवासी– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमति कान्ता पत्नी दिनेश कुमार, जाति खटीक, निवासी– किला रोड़, वार्ड संख्या 34, हाल मगरापूंजला, जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरकरण संख्या 1598 ग्राम नन्दवान तहसील लूणी को निरस्त करने बाबत्।।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।

–:आदेशः– **दिनांक :17.02.2020**

तहसीलदार, लूणी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नन्दवान के खसरा नं0 569/5 रकबा 16 बीघा के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1598 ग्राम नन्दवान दिनांक 18.02.2016 को स्वीकृत किया गया। खसरा नं0 569/5 रकबा 16 बीघा के संबंध में पूर्व में ना0 स0 1227 दिनांक 20.01.2011 को ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा खारिज किया जा चुका है परन्तु ना0 स0 1598 स्वीकृत करते समय तहसीलदार लूणी द्वारा अनदेखी गई जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

नामान्तरकरण संख्या 1598 से पूर्व नामान्तरकरण संख्या 1227 बेचान पत्र दिनांक 18.08.2010 के आधार पर दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1227 की जांच के दौरान भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गई कि जांच किया, मौका देखा गया। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार खरीदार का कब्जा नहीं है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया है जो सही है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त जांच दिनांक 19.01.2011 को की गई। ग्राम पंचायत नन्दवान की बैठक दिनांक 20.01.2011 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा विचार विमर्श बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय

पारित किया गया कि विक्रता व क्रेता का का मौका पर कभी कब्जा काश्त भूमि पर नहीं है और न ही भूमि मौके पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया जाता है।

ग्राम पंचायत के निर्णय 20.01.2011 के विरूद्ध श्रीमति भगवती द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में अपील संख्या 4/2011 प्रस्तुत की गई। अपील में निर्णय दिनांक 4.1.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 20.01.2011 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूणी को पुनः रिमाण्ड किया। पुनः रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 18.02.2016 को स्वीकृति निर्णय पारित करते समय तथ्यों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई। राज0 भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 160 को दुष्टिगत रखते हुए नामान्तरकरण संख्या 1227 के ग्राम पंचायत निर्णय दिनांक 20.01.2011 के परिदृश्य में ही ना0 स0 1227 का निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित था परन्तु नियमों के परिदृश्य में नवीन निर्णय पारित करते समय भूल की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 1227 में अंकित पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्टो को नजरअन्दाज करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2010 के अनुसार क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सके ऐसा सम्भव नहीं था। नामान्तरकरण संख्या 1227 एवं इससे संबंधित विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2010 एकमात्र कागजी बेचान एवं बेनामी सम्पत्ति का हस्तान्तरण मात्र था। इस प्रकार कागजी बेचान पत्र को आधार मानकर अपील संख्या 04/2011 निर्णय दिनांक 04.01.2016 की आड़ में कागजी बेचान पत्र व मौके पर अनुपलब्ध भूमि को गलत रूप से नियम विरूद्ध वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया जो विधि विरूद्ध है।

अतः निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1598 के स्वीकृति निर्णय दिनांक 18.02.2016 को निरस्त फरमाया जाकर पूर्व स्थिति नामान्तरकरण संख्या 1227 के अनुसार बहाल करने का निर्णय फरमाया जावे।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से अभिभाषक सिद्धार्थ परिहार ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि उक्त नामान्तरकरण भूमि खसरा संख्या 569/5 नन्दवान के खातेदार द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा किये जाने पर उसे बेचाननामें के आधार पर स्वीकार किया गया। उक्त बेचाननामें के आधार पर पूर्व में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1227 ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया जिस आदेश के विरूद्ध क्रेता द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी लूणी के न्यायालय में पेश की गई जो अपील संख्या 04/2011 दिनांक 04.01.2016 को स्वीकार की गई एवं मामला तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये गये कि पंजीकृत बेचाननामें के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण दो माह की अवधि

में स्वीकार किया जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1598 स्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1598 के विरूद्ध भी कोई अपील नहीं की गई परन्तु तहसीलदार ने माननीय न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1598 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है एवं न तहसीलदार को अधिकार है क्योंकि इसमें कोई राजहित निहित नहीं है। इस कारण यह रेफरेन्स खारिज योग्य है।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बताया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में जो तथ्य लिखे गये है वे राजस्व रेकर्ड एवं न्यायालय के आदेश से संबंध रखते है। पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1227 अपील न्यायालय द्वारा अपील संख्या 04/2011 दिनांक 04.01.2016 को निरस्त किया जा चुका था इस कारण अपील न्यायालय के आदेश की पालना करना तहसीलदार का दायित्व था। तहसीलदार को स्वयं के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है एवं ऐसा प्रार्थना–पत्र पेश तहसीलदार ने अपील न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2016 की अवमानना की है।

बहस के अन्त में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने एवं सारहीन होने से भी खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का भी अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी (तहसीलदार, लूणी) ने प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से अप्रार्थी संख्या 1 भागवन्ती के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2010 को बेनामी सम्पत्ति का हस्तान्तरण मात्र एवं कागजी बेचान पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी लूणी के अपील प्रकरण संख्या 04/2011 निर्णय दिनांक 04.01.2016 की आड़ में तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1598 दिनांक 18.02.2016 को विधि विरूद्ध मानते हुए निरस्त करने का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया। तत्कालीन तहसीलदार लूणी द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व अपील संख्या 04/2011 निर्णय दिनांक 04.01.2016 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है, अतः प्रार्थीपक्ष ने तत्कालीन तहसीलदार लूणी ने उक्त आदेश पारित करने में क्या विधि विरूद्ध कार्यवाही की, स्पष्ट नहीं किया है। प्रथमतः यदि उपखण्ड अधिकारी लूणी के आदेश से प्रार्थीपक्ष के हित प्रभावित होते है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का स्पष्ट प्रावधान है, प्रार्थीपक्ष ने ऐसा नहीं किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अभिनिर्धारित किया है कि जहां पक्षकारान् को अपील व रिवीजन करने का प्रावधान है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स नहीं किया जा सकता। द्वितीयत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज

(राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2011 निर्णय दिनांक 03.06.2015) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पूर्व में विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 569/5 रकबा 16 बीघा की खातेदारी निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रकरण संख्या 01/2011 जीयाराम बनाम राजूराम वगैरा विचाराधीन रहते हुए इस न्यायालय से दिनांक 03.06.2015 को निर्णित किया गया। जिसमें विवादग्रस्त भूमि का आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवंटन करने के पश्चात आवंटी का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी संख्या 2039 से 2043 एवं संवत् 2057, 2058 एवं उसके पश्चात आवंटी द्वारा अन्य व्यक्ति को रजिस्टर्ड बेचान करने के पश्चात क्रेता भागवन्ती का कब्जा काश्त सम्वत् 2059 में दर्ज होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के कब्जा अनुसार तरमीम होने से 14(4) की कार्यवाही भी निरस्त की गई थी।

अतः प्रार्थीपक्ष का यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है कि तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम नन्दवान तहसील लूणी के नामान्तरकरण संख्या 1598 स्वीकृत आदेश दिनांक 18.02.2016 में कोई विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप प्रकरण रेफरेन्स योग्य नहीं होने से प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: